



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 2010/फाल्गुन 22, 1931

No. 69]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 2010/PHALGUNA 22, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं विनियम, 2010]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

फा. सं. 37-9/विधि/2010.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रचोप्यता एवं आरंभ :

1.1 इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं] विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

1.2 ये उन तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रही हैं जैसेकि परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं ।

1.3 ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

सामान्य :

(i) पॉलीटेक्नीकों में शिक्षकों के संबंध में पदनाम होंगे, अर्थात् व्याख्याता, विभाग अध्यक्ष और कार्यशाला अधीक्षक ।

(ii) पॉलीटेक्नीकों में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक ग्रेड वेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ 15600—39100 रु. तथा 37400—67000 रु. के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जाएंगे । प्रत्येक वेतन बैंड में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएं होंगी, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास, अर्हता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन, उनके कैरियर के दौरान ऊर्ध्ववर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं ।

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तें तथा कैरियर संवर्धन स्कीम :

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संरचना नीचे दर्शाए गए अनुसार होगी :

(क) पॉलीटेक्नीकों में व्याख्याता

- (i) उपयुक्त शाखा/विषय-क्षेत्र में बी.टैक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया-नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 5400 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे उपयुक्त शाखा/विषय-क्षेत्र में निष्णात की अर्हता पूरी कर लेने पर 6000 रु० के एजीपी में चले जाएंगे।
- (ii) उपयुक्त शाखा/विषय-क्षेत्र में बी.ई./एम.टैक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया-नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।
- (iii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला व्याख्याता, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हो, 7000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होगा।
- (iv) प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में, जैसाकि तकनीकी शिक्षा के लिए परिभाषित है, निष्णात डिग्री धारण करने वाला व्याख्याता, व्याख्याता के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने में उपरांत 7000 रु० के एजीपी के लिए पात्र होगा।
- (v) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 6000 रु० के एजीपी के लिए पात्र होगा।
- (vi) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 7000 रु० के एजीपी के लिए पात्र होगा।
- (vii) सभी व्याख्याताओं के लिए 5000 रु० के एजीपी से 6000 रु० के एजीपी में तथा 6000 रु० के एजीपी से 7000 रु० के एजीपी में ऊर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन होगा।
- (viii) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पदों के पदधारियों का वेतन (अर्थात् 10000-15200 रु० का पूर्व-संशोधित मान) उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी 7000 रु० होगा।
- (ix) 7000 रु० के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्वधीन, 8000 रु० के एजीपी में जाने के लिए पात्र होंगे।
- (x) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 12000-18300 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में 1.1.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में रखे जाएंगे तथा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने जारी रहेंगे।

(xi) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000-18300 रु० के वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखे जाएंगे, जब तक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते, तथा उसके पश्चात उन्हें 37400-67000 रु० के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाएगा।

(xii) 8000 रु० के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड), अमातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यक्षीन, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में रखे जाने के पात्र होंगे।

(xiii) विभागाध्यक्ष का पद 9000 रु० एजीपी के साथ 37400-67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्ती हुए विभागाध्यक्ष को 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में, जिसमें 9000 रु० का एजीपी होगा, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(xiv) 9000 रु० के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. धारण करने वाले विभागाध्यक्ष अमातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अध्यक्षीन पात्र होंगे तथा उन्हें 10000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० में रखा जाएगा।

(xv) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के स्तर पर प्रारंभिक सीधी-भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें वे होंगी, जो अमातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई हैं।

(xvi) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन अमातशिप अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक से अन्यून दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यक्षीन प्रभावी किए जाएंगे।

कार्यशाला अधीक्षक:

कार्यशाला अधीक्षक को व्याख्याता के समकक्ष माना जाएगा तथा उस पर ऊर्ध्ववर्ती संचलन के लिए व्याख्याता के ही समान ही विचार किया जाएगा।

पॉलीटेक्नीकों में प्राचार्यों के वेतन मान:

पॉलीटेक्नीकों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियां अमातशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगी, तथा प्राचार्य का पद 10,000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में होगा, जिसमें 2000 रु० प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को 10000 रु० के एजीपी के साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा तथा वे 2000 रु० प्रतिमाह के विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम

उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद/समकक्ष पद के लिए पात्र होंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनाम दिया जाएगा।

(iii) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उसके समकक्ष पदों के लिए प्रोन्नति के संबंध में प्रवरण ग्रेड समिति द्वारा चयन की विद्यमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

(iv) 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन 9000 रु० के एजीपी तथा 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

(v) 7000 रु० के एजीपी में विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) भी, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य नहीं है, परंतु जो अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं, 8000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(vi) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को 12000-18300 के पूर्व-संशोधित वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किए जाएंगे। उन्हें उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(vii) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारक, जिन्होंने 37400-57000 रु० के उच्च वेतन बैंड में रखे जाने के लिए पात्र होने के लिए 12000-18300 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में तीन वर्ष की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(viii) सीधे भर्ती हुए उप-पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में वेतन 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में प्रारंभिक रूप से नियत किया जाएगा। वे 8000 रु० के एजीपी में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतनमान में चले जाएंगे।

(ix) अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की विद्यमान शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यताएं उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

पीएच.डी./एम.टैक तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन:

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम-कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में प्रदान की गई

पीएच.डी. की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी।

(ii) व्याख्यता के पद पर नियुक्ति के समय एम.फिल. डिग्रीधारक दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.टैक, स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच.डी. डिग्री पूरी करते हैं, तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लाभ ले सकेंगे, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया है।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.फिल अथवा एम.टैक डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन-वृद्धि के पात्र होंगे।

(viii) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी जो प्रवेश स्तर पर किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. के साथ भर्ती हुआ हो, जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

(ix) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य पुस्तकालय कार्मिक, जिन्होंने सेवा काल के दौरान किसी भी समय, नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य तथा मूल्यांकन के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. की डिग्री अर्जित कर ली है, तीन गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(x) तथापि, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर पदों के व्यक्ति, जिन्हें जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी यूजीसी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के साथ सहयोजित होने के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(xi) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर स्थितियों के व्यक्तियों के प्रत्येक अन्य मामले के संबंध में, जिन्होंने पहले ही पीएच.डी. के लिए नामांकन करा लिया है, वे तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों का लाभ तभी उठाएंगे यदि पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय यूजीसी से अधिसूचित है, तथा उसने, यथास्थिति, पाठ्यक्रम-कार्य अथवा मूल्यांकन के लिए अथवा दोनों ही के संबंध में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

(xii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सेवा काल में उच्च पुस्तकालय पदों में नियुक्ति व्यक्ति, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तभी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जब ऐसा नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय के साथ किया गया हो, जो नामांकन सहित यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

(xiii) दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतनवृद्धियां ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अनुमेय होंगी जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री होगी। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा ऐसे उच्च स्थितियों के कार्मिक, जिनके पास उनके सेवा काल के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री अर्जित है, वे भी एक अग्रिम वेतन-वृद्धि के पात्र होंगे।

(xiv) पूर्ववर्ती खंडों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मों जिन्होंने पूर्व स्कीम के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएच.डी./एम. टैक धारण करने के लिए अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ पहले ही उठा लिया है, इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम वेतन-वृद्धियों के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(xv) प्रवेश स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जहां पूर्व स्कीम के अंतर्गत पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए ऐसी कोई वेतनवृद्धि अनुमेय नहीं थी, केवल उन्हीं नियुक्तियों को पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए पांच अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ उपलब्ध रहेंगे, जो इस स्कीम के प्रवृत्त होने पर अथवा इसके पश्चात की गई हैं।

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम:

(क) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (सहायक डीपीई)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (कॉलेज डीपीई)

(i) 8000—13000 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक निदेशक/कॉलेज डीपीई को 6000 रु० की एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(ii) पदधारी सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुरूप, 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(iii) अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक अर्हताओं की समस्त विद्यमान शर्तें सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई की सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

(ख) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान)

(i) 10000—15200 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) 6000 रु० के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को, 6000 रु० के एजीपी में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 7000 रु० के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(iii) 6000 रु० के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम. फिल धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 6000 रु० के एजीपी में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iv) प्रासंगिक पीएच.डी. तथा एम.फिल न रखने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई, 6000 रु० के एजीपी में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई के रूप में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(v) पदधारक सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुसार 7000 रु० के एजीपी में 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

(ग) उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)

(i) 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों की संतुष्टि के अध्यक्षीन, सहायक

शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी में चले जाएंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) 8000 रु० के एजीपी तथा 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता के अध्यक्षीन, उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड), 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे। उन्हें उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(iii) उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को गैर-संशोधित 12000-18300 के वेतन मान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में नियतन किए जाने के पात्र होंगे।

(iv) उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिनकी सेवा गैर-संशोधित वेतनमान 12000-18300 रु० में तीन वर्ष से कम होती है, जोकि उन्हें उच्च वेतन बैंड में जाने के लिए पात्र बना देती, गैर-संशोधित वेतन मान में उप-डीपीई/एडीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण कर लेने तक 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी पर उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(v) सीधे भर्ती हुए उप-डीपीई का वेतन आरम्भिक तौर पर 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी के साथ नियत किया जाएगा, तथा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, सीधे भर्ती हुए उप-डीपीई और समकक्ष पदधारक, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

अन्य निबंधन और शर्तें:

वेतन-वृद्धियां:

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग के 3 प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन-वृद्धि भी यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग की 3 प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर-चक्रवर्ती होगी।

(iii) एजीपी की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन-वृद्धियों की संख्या निम्न वेतन मान से उच्च वेतन मान में प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार, होगी; तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 15600-39100 रु० के वेतन बैंड से 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन-वृद्धि नहीं दी जाएगी।

वेतन 'नियतन सूत्र':

केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन 'नियतन सूत्र' को पॉलीटेक्नीक शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्गों में समकक्ष पदों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए अपनाया जाएगा।

भत्ते:

(i) शिक्षकों तथा पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्गों के लिए यथालागू भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते, बालक शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र आधारित विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता आदि उन्हीं के भत्तों के समकक्ष होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार किए गए हैं तथा 01.09.2008 से लागू होंगे।

(ii) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पॉलीटेक्नीक तकनीकी शिक्षकों तथा अभातशिप द्वारा यथापरिभाषित पुस्तकालय में समकक्ष पदों के लिए केन्द्रीय सरकार समूह 'क' कर्मचारियों के लिए यथालागू भत्तों की दरें अपनाई जाएंगी।

(iii) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पॉलीटेक्नीक तकनीकी शिक्षकों तथा अभातशिप द्वारा यथापरिभाषित पुस्तकालय में समकक्ष पदधारी, जो 'निःशक्त व्यक्ति (अधिकारों, समान अवसरों और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अंतर्गत दृश्य, अस्थि-संबंधी, श्रव्य अथवा अन्य निःशक्ताओं से ग्रसित हैं, परिवहन भत्ते की समान्य दर से दोगुने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निःशक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्वीकार किया गया है।

अध्ययन अवकाश:

अभातशिप सेवाकाल के दौरान प्रासंगिक शाखा/विषय क्षेत्र में एम. टैक तथा पीएच.डी. अर्जित करने के लिए सवेतन अध्ययन अवकाश के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों को, तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के लिए रिक्त पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश के पश्चात रखे जाने वाले वर्षों की संख्या में छूट देते हुए संशोधित करेगी, ताकि पीएच.डी. अथवा उच्च योग्यता के बिना सेवा में प्रवेश करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उनके कैरियर में बाद के वर्षों के स्थान पर शीघ्रतिशीघ्र प्रासंगिक विषय-क्षेत्रों में ये अर्हताएं अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

शिक्षकों के लिए विश्राम अवकाश:

तकनीकी शिक्षा तथा उद्योग के बीच अंतरसंपर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलीटेक्नीक संस्था में संकाय सदस्य को छह वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात किसी उद्योग में कार्य करने के लिए छह माह का विश्राम अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा अवकाश शिक्षक को उसके शिक्षण कैरियर में केवल दो बार ही उपलब्ध होगा।

शोध संवर्धन अनुदान:

अभातशिप समस्त विषय-क्षेत्रों में शोध-कार्य करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उपयुक्त 'प्रारंभिक अनुदान' प्रदान करने के माध्यम से उपयुक्त दिशा-निर्देशों के साथ एक स्कीम विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें 'बुनियादी विज्ञान शोध को मजबूत बनाने पर प्रो० एम.एम. शर्मा समिति' द्वारा यथाअनुशंसित बुनियादी विज्ञान शोध भी शामिल होगा।

अधिवर्षिता की आयु:

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति तथा इसके परिणामस्वरूप उनमें विद्यमान खाली पदों से निपटने के लिए, पात्र लोगों को शिक्षण कैरियर में आकर्षित करने तथा एक लंबे समय तक शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए क्लास रूम शिक्षा में शामिल शिक्षकों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के पत्र सं० एफ०सं० 1-19/2001-यू-II दिनांक 23.3.2007 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु को पैंसठ वर्ष तक बढ़ाया गया है।

(ii) रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा शारीरिक सक्षमता के अध्यधीन, शिक्षक साठ वर्ष की आयु के पश्चात सत्तर वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति पर पुनःनियोजित भी किए जाएंगे। तथापि, अधिवर्षिता की आयु के पश्चात पुनःनियोजन चयनात्मक आधार पर प्रथम बार तीन वर्ष की सीमित अवधि के लिए तथा उसके पश्चात दो वर्ष की आगे अन्य अवधि के लिए पूर्णतः गुणागुण, अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा समकक्ष समूह पुनरीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा ऐसा पात्र शिक्षकों के चयन अथवा प्रोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किए बगैर, केवल उपलब्ध रिक्त पदों के लिए ही किया जाएगा।

(iii) जबकि क्लास रूम शिक्षण में लगे शिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि का आशय योग्य व्यक्तियों को शिक्षण कैरियर के प्रति आकर्षित करना तथा शिक्षकों को एक लंबी अवधि तक सेवा में बनाए रखने के माध्यम से शिक्षकों के अभाव को दूर करना है, तथा जबकि पुस्तकालय की श्रेणियों में कोई ऐसा अभाव नहीं है, वर्तमान अधिवर्षिता की बासठ वर्ष की आयु में वृद्धि पुस्तकालय श्रेणियों के लिए लागू नहीं होगी।

पेंशन:

(i) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथालागू पेंशन तथा गेच्युटी के लिए केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे।

(ii) 1.1.2004 से लागू नई पेंशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए, पेंशन के संपरिवर्तन के लिए किसी भी नए मामले को अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवार पेंशन:

छठ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित परिवार पेंशन की सुविधाएं तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए उपलब्ध होंगी।

(i) **वरिष्ठ पेंशनरों को पेंशन का अतिरिक्त परिमाण:** छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ पेंशनरों के लिए स्वीकार किए गए अतिरिक्त परिमाण की सुविधा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी जो अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शिक्षण तथा अन्य संवर्गों में हैं अथवा थे, यदि वे अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पेंशन स्कीमों में पहले से ही विद्यमान हैं।

(ii) **गेच्युटी और अवकाश का भुगतान:** छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्वीकार की गई गेच्युटी तथा अवकाश-भुगतान की सुविधाएं अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के संवर्गों के लिए भी लागू रहेंगी।

(iii) **उपदान प्रतिपूर्ति:** शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों, जिनकी उनकी वास्तविक ड्यूटी के निष्पादन के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवारों को उसी रीति से प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसीकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष परिवारों को की जाती है।

भविष्य निधि:

(i) अंशदायिक भविष्य निधि के संबंध में वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति जारी रहेगी।

परामर्शी कार्य:

अभातशिप एक उपयुक्त मॉडल तैयार करेगा जिसके लिए संस्थाओं तथा परामर्शी-शिक्षकों के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा अन्य संस्थाओं में विद्यमान राजस्व साझेदारी को ध्यान में रखा जाएगा।

पिछली पीआरसी में विसंगतियां:

पिछली वेतन पुनरीक्षा समिति की विसंगतियों तथा गैर-क्रियान्वित सिफारिशों, यदि कोई हैं, की अभातशिप द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जाएगी।

पीआरसी तथा अभातशिप की अन्य सिफारिशें:

वेतन पुनरीक्षा समिति तथा अभातशिप द्वारा विभिन्न चयन प्रक्रियाओं, सेवा और कार्य शर्तों, प्रशिक्षण/पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों आदि के संबंध में की गई सिफारिशों पर अभातशिप द्वारा, जहां कहीं अपेक्षित होगा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, अथवा अभातशिप अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप परिषद के विनियमों के अंतर्गत उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

व्यावसायिक विकास के लिए अनुदान

नए सक्लिय प्रवशकताओं को कम्प्यूटर, शिक्षण सामग्री जिसमें पुस्तक, शोध सहायक-उपस्कर तथा कार्यालय सामग्री आदि शामिल है, खरीदने के लिए 1 लाख रु0 का एकबारीय प्रारम्भिक अनुदान दिया जाएगा। विद्यमान शिक्षकों को भी कम्प्यूटर की खरीद के लिए, जिसमें कम्प्यूटर के उन्नयन अथवा नए कम्प्यूटर खरीदने (विशेष रूप से वे, जिन्होंने ऐसी सुविधाएं पूर्व में भी हासिल की हैं), पुस्तकें एवं शोध सहायक-उपस्कर सहित शिक्षण सामग्री के लिए 1 लाख रु0 तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।

(ii) सभी शिक्षकों को व्यावसायिक सोसाइटियों की सदस्यता हासिल करने के लिए तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर 1 लाख रु0 का अनुदान दिया जाएगा।

स्कीम की प्रयोज्यता:

(i) यह स्कीम तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा समस्त अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पुस्तकालय के अन्य समकक्ष संवर्गों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए लागू होगी। संशोधित वेतनमानों का क्रियान्वयन इस पत्र में उल्लिखित तथा इस संबंध में अभातशिप द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों की स्वीकृति के अध्यक्षीन होगा।

(ii) यह स्कीम व्यावसायिक पदों जैसे प्रणाली-विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, अनुसंधान अधिकारी आदि तक विस्तारित नहीं की गई है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के शोध/वैज्ञानिक संगठनों में समान अर्हक कार्मिकों के समकक्ष माना जाता है।

(iii) यह स्कीम राज्य विधानमण्डलों के अंतर्गत आने वाली समस्त पॉलीटेक्नीक तकनीकी संस्थाओं पर लागू होगी।

(iv) पॉलीटेक्नीक शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन आदि के परिणामस्वरूप समस्त देयता राज्य सरकार की होगी।

राज्य सरकारें, अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक के अनुसार, इस स्कीम में उल्लिखित वेतनमानों से उच्च वेतनमान लागू करने पर भी निर्णय ले सकेंगी, तथा संशोधित वेतनों/वेतनमानों को 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात की तारीख को प्रवृत्त कर सकेंगी। तथापि, मानव ससाधन विकास मंत्रालय के "पॉलीटेक्नीकों पर सब-मिशन" के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

संशोधित वेतन तथा भत्तों के क्रियान्वयन की तारीख और देय-राशि का भुगतान:

(i) इस स्कीम के अंतर्गत वेतन तथा मंहगाई भत्ते की संशोधित तारीख 01.01.2006 से प्रभावी होगी। संशोधित दरें तथा अन्य सभी लागू भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता आदि तथा पैर-वकनर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां 01.09.2008 से प्रभावी होंगी।

(ii) सकल देय-राशि की 40 प्रतिशत देय राशि का भुगतान, लागू आयकर की कटौती करने के पश्चात, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 के दौरान कर दिया जाएगा।

(iii) इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से इस आशय का वचन लिया जाएगा कि यदि संशोधित वेतन बैंडों में वेतन के गलत नियतन अथवा अनुपयुक्त वेतन बैंड/शैक्षणिक ग्रेड वेतन प्रदान किए जाने अथवा किसी अन्य अधिक भुगतान के किए जाने के परिणामस्वरूप की गई अधिक अदायगी का समायोजन लाभार्थी को देय भावी भुगतानों अथवा अन्यथा से उसी रीति से किया जाएगा जैसीकि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा. सं० एफ 1-1/2 सीक्यू 8-आईसी दिनांक 30.08.2008 के साथ पठित इस मंत्रालय के का०ज्ञा० सं० 23-7/2008-आईएफडी दिनांक 23.10.2008 में उपबंधित है।

(iv) लागू भत्तों तथा ऊपर उल्लिखित वेतन की देय-राशि के साथ प्रासंगिक वेतन बैंड तथा शैक्षणिक ग्रेड वेतन में संशोधित वेतन का भुगतान इस स्कीम के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को अभातशिप द्वारा विनियमों के जारी होने तक जाएगा।

(v) इस स्कीम के क्रियान्वयन में विसंगतियां, यदि कोई हैं, स्पष्टीकरण के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अभातशिप के ध्यान में लाई जाएं।

संकाय मानदण्ड

डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव

पद	अर्हता	अनुभव
व्याख्याता/कार्यशाला अधीक्षक		
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	प्रासंगिक शाखा में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री। यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में निष्णात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
भेषजी	भेषजी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री। यदि उम्मीदवार के पास भेषजी में निष्णात डिग्री है, स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी)	एचएमसीटी में 4 वर्ष की प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा स्नातक में प्रथम श्रेणी (10+2 के पश्चात एचएमसीटी में 3 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा) अथवा समकक्ष	शिक्षण/उद्योग/शोध में एक वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा शिक्षण/उद्योग/शोध में दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव

वास्तुकला	वास्तुकला में प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष यदि उम्मीदवार के पास वास्तुकला में निष्णात डिग्री है, तो स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है	
ललित कला	ललित कला की उपयुक्त शाखा (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला अथवा मूर्तिकला) में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष यदि उम्मीदवार के पास ललित कला (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला, और मूर्तिकला) में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष है, तो स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष अपेक्षित है।	
मानविकी एवं विज्ञान	स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी निष्णात डिग्री	
विभागाध्यक्ष		
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक या निष्णात डिग्री अथवा स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएच.डी. अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
भेषजी	स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री अथवा स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री और भेषजी में पीएच.डी. अथवा समकक्ष	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी)	स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एचएमसीटी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव

	<p>अथवा</p> <p>स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एचएमसीटी में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री और</p> <p>एचएमसीटी में अथवा समकक्ष में पीएच.डी. अथवा समकक्ष</p>	<p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव</p>
वास्तुकला	<p>स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक स्तर अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक डिग्री और निष्णात डिग्री और</p> <p>वास्तुकला में पीएच.डी. अथवा समकक्ष</p>	<p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा</p> <p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा</p>
प्राचार्य	<p>विभाग अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्तानुसार योग्यता तथा इंजीनियरिंग में पीएच.डी.</p> <p>अथवा</p> <p>विभागाध्यक्ष के पद के लिए उपर्युक्तानुसार योग्यता</p>	<p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के स्तर पर होना चाहिए</p> <p>वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा</p>

टिप्पणी:

पीएच.डी. की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूत्रकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।

पीएचडी एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

शोध अनुभव के मामले में, बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों के रिकॉर्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए प्रबंधन और नेतृत्व के लिए अभिरूचि अनिवार्य है, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम /वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है, तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगा:-

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
8.25	55%
8.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

डॉ. डी. के. पालीवाल, सदस्य सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन III/4/162/09-असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

[Pay Scales, Service conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Diploma) Regulations, 2010]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2010

F. No. 37-3/Legal/2010.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 (i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) the All India Council for Technical Education makes the following Regulations :—

1. Short Title, Application and Commencement:

- 1.1 These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Pay Scales, Service Conditions and Qualifications For The Teachers And Other Academic Staff In Technical Institutions (diploma)) Regulations, 2010.
- 1.2 They shall apply to technical institutions conducting technical education and such other courses / Programs and areas as notified by the Council from time to time.
- 1.3 They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

General

- (i) There shall be designations in respect of teachers in Polytechnics, namely, Lecturer, Head of the Department and Workshop Superintendent.
- (ii) The pay of teachers and equivalent positions in Polytechnics shall be fixed according to their designations in two pay bands of Rs. 15600-39100 and Rs. 37400-67000 with appropriate "Academic Grade Pay" (AGP in short). Each Pay Band shall have different stages of Academic Grade Pay which shall ensure that teachers and other equivalent cadres covered under this Scheme, subject to other conditions of eligibility being satisfied have several opportunities for upward movement during their career.

Revised Pay Scales, Service conditions and Career Advancement Scheme for teachers and equivalent positions:

The pay structure for different categories of teachers and equivalent positions shall be as indicated below:

(a) Lecturer in Polytechnics

- (i) Persons with B.E. / B. Tech qualification in appropriate branch / discipline either entering the teaching profession newly or Lecturers already in service in Polytechnic Institutions shall be designated as Lecturer and shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 5400 and will move to P of Rs. 6000 on completion of Masters in qualification in appropriate branch / discipline.

- (ii) Persons with M. Tech qualification in appropriate branch / discipline either entering the teaching profession newly or Lecturers already in service in Polytechnic Institutions shall be designated as Lecturer and shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 6000.
- (iii) A Lecturer with completed service of 4 years, possessing Ph. D Degree in the relevant branch / discipline shall be eligible, for moving up to AGP of Rs. 7000.
- (iv) A lecturer possessing Masters degree in the relevant branch / discipline as defined for technical education shall be eligible for the AGP of Rs. 7,000 after completion of 5 years service as Lecturer.
- (v) Lecturers who do not have Ph.D or a Master's degree in the relevant branch / discipline of a program shall be eligible for the AGP of Rs. 6,000 only after completion of 6 years' service as Lecturer.
- (vi) Lecturers who do not have Ph.D or a Master's degree in the relevant branch / discipline of a program shall be eligible for the AGP of Rs. 7,000 only after completion of 9 years' service as Lecturer.
- (vii) The upward movement from AGP of Rs. 5000 to AGP of Rs. 6000 and from AGP of Rs. 6000 to Rs. 7000 for all Lecturers shall be subject to their satisfying other conditions as laid down by AICTE.
- (viii) The pay of the incumbents to the posts of Lecturer (senior scale) (i.e. the pre-revised scale of Rs. 10,000-15200) shall be fixed at the appropriate stage in Pay Band of Rs.15600-39100 based on their present pay, with AGP of Rs. 7000.
- (ix) Lecturers with completed service of 5 years with the AGP of Rs. 7000 shall be eligible, subject to other requirements laid down by the AICTE to move up to the AGP of Rs. 8000.
- (x) Incumbent Lecturers (Selection Grade) who have completed 3 years in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed in Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP Pay of Rs. 9000 and shall be continued to be designated as Lecturers (Selection Grade)
- (xi) Incumbent Lecturers (Selection Grade) who had not completed three years in the pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed at the appropriate stage in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 8000 till they complete 3 years of service in the grade of Lecturer (Selection Grade), and thereafter shall be placed in the higher Pay Band of Rs.37400-67000 and accordingly designated as Lecturers (Selection Grade)
- (xii) Lecturers (Selection Grade), completing 3 years of teaching with the AGP of Rs. 8000 shall be eligible, subject to other conditions, as may be prescribed by AICTE, to move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000.
- (xiii) Posts of HOD shall be in the Pay Band of Rs. 37400-67000, with AGP of Rs.9000. Directly recruited HOD shall be placed in the Pay Band of Rs. 37400-67000 with an AGP of Rs. 9000, at the appropriate stage in the Pay Band in terms of the conditions of appointment.

- (xiv) Head of the Department (HOD), completing 3 years of service in the AGP of Rs. 9000 and possessing a Ph.D. degree in the relevant discipline shall be eligible, subject to other conditions of academic performance as laid down by the AICTE, shall be placed in Rs.37400-67000 with AGP of Rs. 10000.
- (xv) For initial direct recruitment at the level of Lecturers, HOD and Principal, the eligibility conditions in respect of academic and research requirements shall be as may be or have been prescribed by the AICTE, through Regulations.
- (xvi) All advancements to higher grade pays in various cadres will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.

Workshop Superintendent

Workshop Superintendent is treated at par with Lecturers and is to be considered for upward mobility similar to that of Lecturers.

Pay Scales of Principals in Polytechnics:

Appointments to the posts of Principal in Polytechnics shall be based on the conditions of eligibility in respect of educational qualifications and teaching/research experience laid down by AICTE from time to time, the posts of Principal shall be in the Pay Band of Rs.37400-67000 with AGP of Rs. 10,000, plus a Special Allowance of Rs. 2000 per month. All Principals in service shall be appropriately fixed in the Pay Band with the AGP of Rs. 10000 and shall be eligible for a special allowance of Rs. 2000 per month.

Pay Scales and Career Advancement Scheme for Librarians etc:

Assistant Librarian/ College Librarian:

- (i) Assistant Librarian/ College Librarian in the pre-revised scale of pay of Rs. 8000-13500 shall be placed in the Pay Band of Rs.15600-39100 with AGP of Rs. 6000.
- (ii) All the conditions of eligibility and academic qualifications laid down by the AICTE shall be applicable for direct recruitment of Assistant Librarian/ College Librarian.

Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale)

- (i) The posts of Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale) in the pre-revised scale of pay of Rs. 10000-15200 shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs.7000.
- (ii) Assistant Librarian/ College Librarian possessing Ph.D. in Library Science at the entry level, after completing service of 4 years in the AGP of Rs.6000, and if otherwise eligible as per guidelines laid down by the AICTE shall be eligible for the higher AGP of Rs. 7000 with in the Pay Band of Rs. 15600-39100.
- (iii) Assistant Librarian/ College Librarian not possessing Ph.D. but only M.Phil in Library Science at the entry level after completing service of 5 years in the AGP of Rs. 6000, if otherwise eligible as per guidelines laid down by the AICTE, shall become eligible for the higher AGP of Rs. 7000.

- (iv) After completing service of 6 years in the AGP of Rs. 6000 Assistant Librarian/ College Librarian without the relevant Ph.D. and M.Phil shall, if otherwise eligible as per guidelines laid down by the AICTE, move to the higher AGP of Rs. 7000.
- (v) The pay of the existing Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale) in the pre-revised scale of pay of Rs. 10000-15200 shall be fixed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 7000 at an appropriate stage based on their present pay,

Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade)

- (i) Deputy Librarians who are directly recruited shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-32100 with AGP of Rs. 8000 initially at the time of recruitment.
- (ii) On completion of service of 5 years, Assistant Librarian (Sr. Scale) / College Librarian (Senior Scale) shall be eligible for the post of Deputy Librarian / equivalent posts in Pay Band of Rs. 15600-39100, with Academic Grade Pay of Rs.8,000, subject to their fulfilling other conditions of eligibility (such as Ph.D, degree or equivalent published work etc. for Deputy Librarian) as laid down by the AICTE. They shall be designated as Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade)/ College Librarian (Selection Grade), as the case may be.
- (iii) The existing process of selection by a Selection Committee shall continue in respect of promotion to the post of Deputy Librarian and their equivalent positions.
- (iv) After completing 3 years in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with an AGP of Rs. 8000, Deputy Librarians/ equivalent positions shall move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 and AGP of Rs. 9000, subject to fulfilling other conditions of eligibility laid down by the AICTE.
- (v) Assistant Librarians (Senior Scale) in universities/ College Librarians (Senior Scale) in the AGP of Rs.7000 not possessing Ph.D. in Library Science or equivalent published work but who fulfill other criteria prescribed by the AICTE, shall also be eligible for being placed in the AGP of Rs. 8000.
- (vi) Incumbents to the posts of Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) who have completed three years in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be fixed at an appropriate stage in the Pay Band of Rs. 37400-67000 with an AGP of Rs. 9000. They shall continue to be designated as Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade)
- (vii) Incumbents to the posts of Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade)/College Librarian (Selection Grade) who have not completed the requirement of three years in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-18300, for being eligible to be placed in the higher Pay Band of Rs. 37400-57000, shall be placed at an appropriate stage with Academic Grade Pay of Rs.8000 till they complete three years of service as Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade)/ College Librarian (Selection Grade).

- (viii) Pay in regard to the directly recruited Deputy Librarians shall be initially fixed in Pay Band Rs. 15500-39100 with AGP of Rs. 8000. They shall move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000 after completing three years of service in the AGP of Rs. 8000.
- (ix) The existing conditions of eligibility and academic qualifications prescribed by the AICTE shall continue to be applicable for direct recruitment to the post of Deputy Librarian.

Incentives for Ph.D. / M.Tech. and other higher qualification:

- (i) Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment to persons possessing the degree of Ph.D. awarded in the relevant discipline by a university following the process of registration, course-work and external evaluation as prescribed by UGC.
- (ii) M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of lecturer shall be entitled to two non-compounded advance increments.
- (iii) Those possessing Post Graduate degree in a professional course such as M.Tech. in relevant branch / discipline recognised by a Statutory University shall also be entitled to 2 non-compounded advance increments at the entry level.
- (iv) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments if such Ph.D. is in the relevant branch / discipline and has been awarded by a university complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course-work and evaluation etc.
- (v) However, teachers in service who have been awarded Ph.D. at the time of coming into force of this Scheme or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work, If any, as well as evaluation, and only notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified.
- (vi) Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore derive the benefit of three non-compounded increments on award of Ph.D, while in service only if such enrolment is with a university recognized by UGC.
- (vii) Teachers who acquire M.Phil. degree or a M.Tech degree in a relevant Branch / discipline recognised by a Statutory University while in service, shall be entitled to one advance increment.
- (viii) Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian/ College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in library science.
- (ix) Assistant Librarian/ College Librarian and other Library personnel acquiring the degree of Ph.D, at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments.

- (x) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian or higher positions who have been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of this Scheme or having been enrolled for Ph.D. in library science have already undergone course-work, if any, as well as evaluation, and only notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non* compounded increments even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.
- (xi) In respect of every other case of persons in the posts of Assistant Librarian/ College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the UGC for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.
- (xii) Assistant Librarian/ College Librarian and others in higher Library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore derive the benefit of three non-compounded increments on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.
- (xiii) Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/ College Librarian with M.Phil degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian/ College Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in Library Science at any time during the course of their service, shall be entitled to one advance increment.
- (xiv) Notwithstanding anything in the foregoing clauses, those who have already availed the benefits of advance increments for possessing Ph.D / M. Tech, at the entry level under the earlier scheme shall not be entitled to the benefit of advance increments under this Scheme.
- (xv) For posts at the entry level where no such advance increments were admissible for possessing Ph.D / M. Tech, under the earlier scheme, the benefit of five advance increments for possessing Ph.D./ M. Tech, shall be available to only those appointments which have been made on or after the coming into force of this Scheme.

Pay Scales and Career Advancement Scheme for Physical Education Personnel:

- (a) **Assistant Director of Physical Education (Assistant DPE) / College Director of Physical Education (College DPE)**
- (i) The Assistant Director of Physical Education/ College DPE in the pre-revised pays scale of Rs. 8000-13500 shall be placed in the Pay Band of Rs.15600-39100 with AGP of Rs. 6000.
- (ii) Pay of incumbent Assistant Directors of Physical Education / College DPE shall be fixed at an appropriate stage in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with an AGP of Rs. 6000, in accordance with the 'fixation formula' of the 6th CPC.

- (iii) All existing conditions of eligibility and academic qualifications laid down by the AICTE shall continue to be applicable for direct recruitment of Assistant Director of Physical Education / College DPE.
- (b) **Assistant Director of Physical Education (Senior Scale) / College DPE (Senior Scale)**
- (I) Assistant Directors of Physical Education (Senior Scale) / College DPE (Senior Scale) in the pre-revised pay scale of Rs. 10000-15200 shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 7000.
- (ii) Assistant Directors of Physical Education (Senior Scale)/ College DPE (Senior Scale) possessing Ph.D. in Physical Education at the entry level of Assistant DPE/ College DPE in the AGP of Rs. 6000 shall, after completing service of four years in the AGP of Rs. 6000, and if otherwise eligible as per guidelines prescribed by the AICTE, move to higher AGP of Rs. 7000 in the Pay Band of Rs. 15600-39100.
- (iii) Assistant Directors of Physical Education (Senior Scale)/ College DPE (Senior Scale) possessing M.Phil in Physical Education at the entry level of Assistant DPE/ College DPE in the AGP of Rs. 6000 shall, after completing service of five years in the AGP of Rs. 6000, be eligible for the higher AGP of Rs. 7000.
- (iv) Assistant Directors of Physical Education/ College DPEs without the relevant Ph.D. and M.Phil shall, after completing service of six years as Assistant Director of Physical Education/College DPE in the AGP of Rs. 6000, and if otherwise eligible as per guidelines prescribed by the AICTE, be eligible for being placed in the AGP of Rs. 7000.
- (v) Pay of incumbent Assistant Directors of Physical Education (Senior Scale)/ College DPE (Senior Scale) shall be fixed in Pay Band of Rs. 15600-39100 at an appropriate stage in the AGP of Rs. 7000, as per the 'fixation formula' of the 6th CPC.
- (c) **Deputy Director of Physical Education / Assistant Director of Physical Education (Selection Grade) / College Director of Physical Education (Selection Grade)**
- (i) After completing service of five years in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with the AGP of Rs. 7000 and subject to satisfying other eligibility conditions laid down by the AICTE, Assistant Director of Physical Education (Senior Scale)/ College DPE (Senior Scale) shall move to AGP of Rs. 8000 in the Pay Band of Rs. 15600-39100. They shall be designated as Deputy Director of Physical Education/ Assistant DPE (Selection Grade)/ College DPE (Selection Grade), as the case may be.
- (ii) After completing service of three years in the Pay Band of Rs. 15600-39100 and the AGP of Rs. 8000 and subject to eligibility laid down by the AICTE, Deputy DPE/ Assistant DPE (Selection Grade)/ College DPE (Selection Grade) shall move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 with the AGP of Rs. 9000. They shall continue to be designated as Deputy DPE/ Assistant DPE (Selection Grade)/ College DPE (Selection Grade)
- (iii) All Incumbents to the post of Deputy DPE/ Assistant DPE (Selection Grade)/ College DPE (Selection Grade) who have completed service of at least three years in the un-

revised Pay Scale of Rs. 12000-18300 as on 1.1.2006 shall be eligible to be fixed in the Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000.

- (iv) All incumbents to the post of Deputy DPE/ Assistant DPE (Selection Grade)/ College DPE (Selection Grade) whose services in the un-revised Pay Scale of Rs. 12000-18300 fall short of three years which would have made them eligible to move to the higher Pay Band, shall be placed at an appropriate stage at the AGP of Rs. 8000 in the Pay Band of Rs. 15600-39100 till they complete the required service of three years as Deputy DPE/ ADPE (Selection Grade)/ College DPE (Selection Grade) in the un-revised Pay Scale.
- (v) Pay of the directly recruited Deputy DPE shall be initially fixed with the AGP of Rs. 8000 in the Pay Band of Rs. 15600-39100, and after completing 3 years of service directly recruited Deputy DPE and equivalents shall move to Pay Band Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000.

Other terms and conditions:

Increments:

- (i) Each annual increment shall be equivalent to 3% of the sum total of pay in the relevant Pay Band and the AGP as applicable for the stage in the Pay Band.
- (ii) Each advance increment shall also be at the rate of 3% of the sum total of pay in the relevant Pay Band and the AGP as applicable and shall be non-compoundable.
- (iii) The number of additional increment(s) on placement at each higher stage of AGP shall be as per the existing scheme of increment on promotion from lower Pay Scale to higher Pay Scale; however, in view of the considerable raise in effective pay between the two Pay Bands, there shall be no additional increment on movement from the Pay Band of Rs. 15600-39100 to the Pay Band of Rs. 37400-67000.

Pay 'fixation formula':

The pay 'fixation formula' recommended by 6th Central Pay Commission as accepted by the Central Government shall be adopted for Polytechnic teachers and equivalent positions in the Library Cadres and for Physical Education Personnel.

Allowances:

- (i) Allowances such as Leave Travel Concession, Special Compensatory Allowances, Children's Education Allowance, Transport Allowance, House Rent Allowance, Deputation Allowance, Travelling Allowance, Dearness Allowance, area based Special Compensatory Allowance etc. as applicable to teachers and Library and Physical Education Cadres, shall be at par with those accepted by the Central Government for Central Government employees on the recommendations of 6th Central Pay Commission and shall be applicable from 1.09.2008.
- (ii) For Polytechnic Technical teachers in AICTE approved Institutions and equivalent positions in Library as defined by AICTE, the rates of allowances as applicable to Central Government Group 'A' employees shall be adopted.

- (iii) Polytechnic technical Teachers in AICTE approved Institutions and equivalent positions in Library as defined by AICTE, with visual, orthopedic hearing or other disabilities under the provisions of 'Persons with Disabilities (Protection of Rights, Equal Opportunities and Full Participation) Act, 1995' shall be entitled to twice the normal rate of transport allowance as accepted by the Central Government on the recommendations- of 6th CPC for Central Government Employees with disabilities.

Study Leave:

AICTE shall revise its guidelines in respect of granting study leave with pay for acquiring M. Tech. and Ph.D. in the relevant branch / discipline while in service by relaxing the number of years to be put in after entry while keeping in mind the availability of vacant positions for teachers and other cadres in Technical Institutions, so that a teacher and other cadres entering service without Ph.D. or higher qualification could be encouraged to acquire these qualifications in the relevant disciplines at the earliest rather than at a later stage of the career.

Sabbatical Leave for Teachers

To encourage interface between technical education and industry a Faculty member in a Polytechnic Institution, should be given a sabbatical leave for six months for working in an industry after the completion of six years of teaching. Such leave, however, shall be available to a teacher only twice in his/her teaching career.

Research Promotion Grant:

AICTE shall prescribe a scheme with appropriate guidelines for providing by way of appropriate 'start up grants' to teachers and other cadres taking up research in all disciplines including basic science research as recommended by "Prof. M.M. Sharma Committee on Strengthening of Basic Science Research'.

Age of Superannuation:

- (i) In order to meet the situation arising out of shortage of teachers in Technical Institutions and the consequent vacant positions therein, the age of superannuation for teachers in Technical Institutions has been enhanced to sixty five years, vide the Department of Higher Education letter No.F.No.1-19/2006-U.II dated 23.3.2007, for those involved in class room teaching in order to attract eligible persons to the teaching career and to retain teachers in service for a longer period.
- (ii) Subject to availability of vacant positions and fitness, teachers shall also be reemployed on contract appointment beyond the age of sixty five years up to the age of seventy years. Re-employment beyond the age of superannuation shall, however, be done selectively, for a limited period of 3 years ie the first instance and then for another further period of 2 years purely on the basis of merit, experience, area of specialization and peer group review and only against available vacant positions without affecting selection or promotion prospects of eligible teachers.
- (iii) Whereas the enhancement of the age of superannuation for teachers engaged in class room teaching is intended to attract eligible persons to a career in teaching and to meet the shortage of teachers by retaining teachers in service for a longer period, and whereas there is no shortage in the categories of Librarians, the increase in the age of

superannuation from the present sixty two years shall not be available to the categories of Librarians.

Pension:

- (i) For teachers and other cadres in AICTE approved institutions in receipt of pension, the Central Government rules for pension and gratuity as applicable to Central Government employees shall be applicable.
- (ii) In view of the new pension scheme effective from 1.1.2004, no new cases of conversion to pension scheme shall be allowed.

Family Pension:

Family Pension facilities as approved by the Central Government in respect of Central Government Employees on the recommendations of Sixth CPC shall be available to teachers in Technical Institutions who are eligible for such Pension at present.

- (i) **Additional Quantum of Pension to senior pensioners:**

The facility of additional quantum of pension accepted by the Central Government on the recommendation of 6th CPC for senior pensioners of the Central Government shall be extended to persons who are or were in teaching and other cadres on attaining the age of eighty years if they are already in pension scheme in AICTE approved institutions.

- (ii) **Gratuity and Encashment of Leave:** Facilities of gratuity and encashment of leave accepted by the Central Government on the recommendation of 6th CPC for Central Government employees shall be extended to teachers and other cadres in AICTE approved institutions.
- (iii) **Ex-Gratia Compensation:** Families of teachers and other cadres who die in performance of their bona fide duties shall be compensated in the same manner as similarly placed families of Central Government Employees.

Provident Fund:

- (i) In view of the present policy in regard to Contributory Provident Fund, the status quo shall continue.

Consultancy Assignments:

AICTE shall work out a suitable model, for which the models of revenue sharing between institutions and consultant-teachers prevailing in the Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management and other institutions may be taken into consideration.

Anomalies of the last PRC:

Anomalies and unimplemented recommendations of the last Pay Review Committee, If any, shall be examined by the AICTE in consultation with the Ministry of Human Resource Development.

Other recommendations of PRC and AICTE;

Recommendations made by the Pay Review Committee and the AICTE in regard to the various selection processes, service and working conditions, training / refresher courses etc. shall be considered appropriately by AICTE with the approval of the Central Government, wherever required, or under the Council's Regulations in accordance with the provisions of the AICTE Act.

Grant for Professional Development

- (i) New faculty entrants may be given a one-time start up grant of Rs. 1 lakh for purchase of computers, teaching material including books, research aids and office furnishings, etc. Existing teachers may also be provided incentive grants up to Rs.1 Lakh for purchase of computer including grants for up gradation of or purchase of a new computer (especially for those who have availed such facilities on earlier occasions) teaching material including books and research aid.
- (ii) All teachers may be given a grant up to Rs. 1 lakh on reimbursement basis for a period of three years towards acquiring the membership of Professional Societies and for participating in national / international conferences / workshops etc.

Applicability of the Scheme:

- (i) This Scheme shall be applicable to teachers in Technical Institutions and other equivalent cadres of Library and for Physical Education Personnel in all the AICTE approved institutions. The implementation of the revised scales shall be subject to the acceptance of all the conditions mentioned in this letter as well as Regulations to be framed by the AICTE in this behalf.
- (ii) This Scheme does not extend to the posts of professionals like System Analysts, Senior Analysts, Research Officers etc. who shall be treated at par with similarly qualified personnel in research/ scientific organizations of the Central Government.
- (iii) This Scheme may be extended to all Polytechnic Technical Institutions coming under the purview of State legislatures.
- (iv) The entire liability on account of revision of pay scales etc. of Polytechnic teachers shall be that of the State Government.

State Governments, taking into consideration other local conditions, may also decide in their discretion, to introduce scales of pay higher than those mentioned in this Scheme, and may give effect to the revised bands/ scales of pay from a date on or after 1.01.2006. However, appropriate steps to achieve the goals and objectives of MHRD's "Sub-Mission on polytechnics" may be taken.

Date of implementation of revised pay and allowance and payment of arrears:

- (i) The revised Pay and revised rates of Dearness Allowance under this Scheme shall be effective from 01.01.2006. The revised rates of all other applicable allowances such as

House Rent Allowance, Transport Allowance, Children Education Allowance etc. and the non-compounded advance increments shall take effect from 1.09.2008.

- (ii) Payment of arrears up to 40% of the total arrears shall be made during the current financial year i.e. 2009-10, after deduction of admissible income tax.
- (iii) An undertaking shall be taken from every beneficiary under this Scheme to the effect that any excess payment made on account of incorrect fixation of pay in the revised Pay Bands or grant of inappropriate Pay Band/ Academic Grade Pay or any other excess payment made shall be adjusted against the future payments due or otherwise to the beneficiary in the same manner as provided in this Ministry's O.M. No. F.23-7/2008-IFD dated 23.10.2008., read with Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M.NO.F.1-1/2CQ8-IC dated 30.8.2008.
- (iv) The revised Pay in the relevant Pay Band and the Academic Grade Pay together with the applicable allowances including arrears of salary as mentioned above shall be paid to all eligible beneficiaries under this Scheme pending issue of Regulations by the AICTE.
- (v) Anomalies, if any, in the implementation of this Scheme may be brought to the notice of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development and AICTE, for clarification.

FACULTY NORMS

Minimum Qualifications and Experience for appointment of teaching Posts in Diploma Level Technical Institutions

Post	Qualifications	Experience
Lecturer/Workshop Superintendent		
Engineering / Technology	Bachelor's degree in Engineering / Technology in the relevant branch with First Class or equivalent. If the candidate has a Master's degree in Engineering / Technology, first class or equivalent is required at Bachelors or Masters level	
Pharmacy	Bachelor's degree in Pharmacy with First Class or equivalent. If the candidate has a Master's degree in Pharmacy, first class or equivalent is required at Bachelors or Masters level	
Hotel Management and Catering Technology	First class at Bachelors 4 year degree in HMCT or equivalent. OR	One year relevant experience in teaching / industry / research OR

	<p>Class or equivalent either at Bachelor's level or Master's level</p> <p>OR</p> <p>Bachelor's degree and Master's degree in pharmacy with First Class or equivalent either at Bachelor's level or Master's level and</p> <p>Ph.D or equivalent, in Pharmacy.</p>	<p>teaching / research / industry</p> <p>Minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry</p>
Hotel Management and Catering Technology	<p>Bachelor's degree and Master's degree in HMCT with First Class or equivalent either at Bachelors or Masters level</p> <p>OR</p> <p>Bachelor's degree and Master's degree in HMCT with First Class or equivalent either at Bachelors level or Masters level and</p> <p>Ph.D or equivalent, HMCT or equivalent</p>	<p>Minimum of 10 years relevant experience in teaching /research/industry</p> <p>Minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry</p>
Architecture	<p>Bachelor's degree and Masters degree in Architecture with First Class or equivalent at either Bachelor's level or Master's level</p> <p>OR</p> <p>Bachelor's degree and Master's degree in Architecture with First Class or equivalent either at Bachelor's level or Master's level and</p> <p>Ph. D or equivalent, in Architecture</p>	<p>Minimum of 10 years relevant experience in teaching / research / industry or</p> <p>Professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.</p> <p>Minimum of 5 years relevant experience in teaching / research / industry or</p> <p>Professional practice of 5 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.</p>
Principal	<p>Qualification as above for the post of Head of Department and</p>	<p>Minimum of 10 years relevant experience in</p>

